

# LSNJ PROTECT

ट्रैफ़िकिंग के पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता कार्यक्रम

टोल फ्री 1-844-LSNJ-PROTECT

(1-844-576-5776)

आप ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग के शिकार हो सकते हैं यदि आप:

- अपनी इच्छा के अनुसार कहीं आ-जा नहीं सकते।
- 18 या उस से कम उम्र के हैं और पैसों के बदले सेक्स उपलब्ध कराते हैं।
- अपने काम के लिए बहुत कम पैसा पाते हैं या बिल्कुल भी नहीं।
- काम के दौरान ब्रेक लेने की अनुमति नहीं पाते।
- झूठे वादे पाकर किसी जॉब का ऑफर पाते हैं।
- अपने पैसों पर कोई नियंत्रण नहीं रखते हैं।
- स्वयं अपनी बात नहीं रख सकते।
- अपना पहचान पत्र या पासपोर्ट नहीं रखते और इन्हें वापस भी नहीं पा सकते।
- खाने और सोने के बारे में आदेश पाते हैं।
- किसी के बहुत कर्ज़दार हैं और इसे चुका नहीं सकते।
- इमीग्रेशन या पुलिस विभाग में रिपोर्ट किए जाने से डरते हैं।

क्या आप ट्रैफ़िकिंग के शिकार हैं?

किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसे जबरन मेहनत-मजदूरी के काम में लगाना अथवा यौन-शोषण के लिए उसका इस्तेमाल करना या उसका अवैध व्यापार, ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग कहलाता है।

LSNJ PROTECT द्वारा की जाने वाली संभावित मदद के तरीकों के लिए पीछे देखें।

# क्या आप जानते हैं कि आपको निम्न अधिकार प्राप्त हैं?

- इमिग्रेशन स्टेटस के लिए आवेदन करने का
- सुरक्षा का आदेश प्राप्त करने का
- बेगार वाले काम के लिए भुगतान पाने का
- अपना आपराधिक रिकॉर्ड हटाने का
- सार्वजनिक लाभों के लिए आवेदन करने का
- यदि आप किसी अपराध के शिकार हैं, तो मुआवजा पाने का

लीगल सर्विसेस ऑफ न्यू जर्सी (Legal Services of New Jersey, LSNJ) एक गैर-लाभकारी संगठन है, जो ह्यूमन ट्रेफ़िकिंग का शिकार हुए लोगों को निःशुल्क कानूनी परामर्श और प्रतिनिधित्व प्रदान करता है।

सभी कॉल गोपनीय होती हैं

## LSNJ PROTECT

टोल फ्री 1-844-LSNJ-PROTECT

(1-844-576-5776)



किसी आपातकालीन स्थिति में कृपया 911 पर कॉल करें। NJ मानव तस्करी हॉटलाइन 1-855-END-NJ-HT

राष्ट्रीय मानव तस्करी हॉटलाइन 1-888-373-7888।